

(विधि अनुभाग)

दिनांक: लखनऊ: जनवरी 20, 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिशनर (कार्य पालक) वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिशनर /असिस्टेन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-4(1)विज्ञप्ति भाग-3(09-10)1187, दिनांक 22-9-2010 के द्वारा शासन की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1335 /ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(63)-2010, दिनांक 10-9-2010 प्रसारित की गयी थी जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की अनुसूची दो के भाग-क की प्रविष्टि संख्या-94 को निम्नवत् संशोधित किया गया है :-

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
94	सभी प्रकार के पाईप जिसमें जी0आई0 पाईप, सी0आई0 पाईप, डकटाईल पाईप, पी0वी0सी0 पाईप आदि एवं फिटिंग्स सम्मिलित है।

2- अधिनियम की अनुसूची-दो भाग-क के क्रमांक- 94 की प्रविष्टि दिनांक 1-1-2008 से दिनांक 9-9-2010 की अवधि में निम्नवत् रही है:-

”सभी प्रकार के पाईप जिसमें जी0आई0 पाईप, सी0आई0 पाईप, डकटाईल पाईप, पी0वी0सी0 आदि एवं फिटिंग्स सम्मिलित है।”

उक्त प्रविष्टि संख्या-94 से फील्ड के अधिकारियों में यह भ्रम है कि इस अवधि में ”पी0वी0सी0 पाईप ” संशोधित विज्ञप्ति के अन्तर्गत करयोग्य माना जाये अथवा इस पर करदेयता अवर्गीकृत वस्तु की भांति रहेगी क्योंकि यह विज्ञप्ति दिनांक 10-9-2010 से प्रभावी है।

3- उपर्युक्त बिन्दु पर मार्गदर्शन मांगे जाने पर शासन के पत्र संख्या-क0नि0-70/ग्यारह-2-2011-9(1)/08-पार्ट-IV, दिनांक 18-1-2011 द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

उपर्युक्त प्रविष्टि सभी प्रकार के पाईप्स से सम्बन्धित है। इसमें पी0वी0सी0 पाईप भी सम्मिलित है। इस प्रविष्टि में "पी0वी0सी0 आदि" के स्थान पर "पी0वी0सी0 पाइप आदि" अंकित होना चाहिए था, जो त्रुटिवश अंकित नहीं हुआ था। "पी0वी0सी0 आदि" का इस प्रविष्टि में कोई अन्य आशय नहीं है। अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (4) के प्राविधान के अनुसार अधिनियम की किसी अनुसूची की प्रविष्टि को गजट में अधिसूचना के माध्यम से ही संशोधित किया जा सकता है, अतः न्याय विभाग से परामर्श के उपरान्त अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1335 /ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(63)-2010, दिनांक 10-9-2010 द्वारा उक्त प्रविष्टि को संशोधित किया गया। इसमें कर की दर में परिवर्तन का बिन्दु निहित नहीं था। दिनांक 1-1-2008 से 9-9-2010 तक की अवधि में भी "पी0वी0सी0 पाईप " अधिनियम की अनुसूची दो भाग-क के क्रमांक-94 की प्रविष्टि में "सभी प्रकार के पाइप" के अन्तर्गत आच्छादित है।

कृपया शासन के उपर्युक्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। शासन के इस निर्णय का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुये इसकी प्रतियां अधिवक्ता संघों एवं व्यापारिक संगठनों को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रभानु)

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्र0प्र0सं0 एवं दिनोंक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30प्र0
- (5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, 30प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (6) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (11) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (15) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य गजियाबाद।
- (16) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(30न्या0कार्य0) लखनऊ/इलाहाबाद।
- (17) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियाँ में।
- (18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (19) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 185/293 अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
- (21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ।
- (27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (29) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गजियाबाद।
- (30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ।
- (31) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)के माध्यम से।
- (32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्प्लेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (33) शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
- (34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- (35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।

- (39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुँजगली, चौक, वाराणसी ।
- (40) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु०नगर।
- (41) श्री पी०एस०जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र०ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (43) आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उ० प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (46) इन्डियन इण्डोएसो, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर ।
- (47) संयोजक, टैक्सेशियों एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०(रजि०) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ ।
- (48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०पो स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (51) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।
- (55) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ० बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (58) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सांदाबाद गेट, हाथरस ।
- (61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद
- (64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी, उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, यू०पी० ।
- (65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर०डी०सी०-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (67) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

19/11/2011
(बी०एन० द्विवेदी)

ज्वाइन्ट कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।